आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर शस्त्र वाद सं. 87/2014	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
9/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **अरविन्द सिंह, पिता–श्री साधु शरण सिंह, सा0–इमादपुर टोले, उड़ियानपुर, थाना–मांझी, जिला–सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2743/गो0 14.8.12 के द्वारा आवेदक अरविन्द सिंह, पिता–श्री साधु शरण सिंह, सा0–इमादपुर टोले, उड़ियानपुर, थाना–मांझी, जिला–सारण का एक डी.बी.बी.एल. गन की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है। दिनांक 5.8.14 को आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गई थी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया था। आवेदक के द्वारा बताया गया था कि वे उनके बड़े पिता की हत्या की गयी थी। वे इसके गवाह थे। अब अपराधी छूट गया है। उनके पिता के नाम से दोनाली बंदूक है। पिता की उम्र काफी अधिक हो गयी है। अतः वे अपने पिता की अनुज्ञप्ति को अपने नाम पर अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करवाना चाहते हैं। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, मांझी के ज्ञापांक 384 दिनांक 13.5.12 के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात् अंचलाधिकारी, मांझी के पत्रांक 339 दिनांक 28.7.12 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2743/गो0 दिनांक 14.8.12 के द्वारा प्रेषित किया गया। पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आवेदक के जानमाल पर	

खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंकित नहीं है। अतः इस न्यायालय के पत्रांक 914 दिनांक 26.8.14 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, सारण से खतरे की आशंका के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 4611/गो0 दिनांक 4.11.14 के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक, सदर के पत्रांक 2026 दिनांक 14.10.14 एवं थानाध्यक्ष, मांझी के प्रतिवेदन (डी.आर. 4218 दिनांक 29.9.14) को संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आवेदक की उपस्थिति में आज दिनांक 9.12.14 को पुनः सुनवाई की गयी एवं पुलिस प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। थानाध्यक्ष, मांझी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का घर दियरा से सटे है। पूर्व में इनके घर में डकैती की घटना घटित हुई थी एवं डकैतों के द्वारा इनके बड़े पिता श्री सूर्य सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जिसके संबंध में मांझी थाना कांड सं0 107/94 दर्ज है। पूर्व में जो डकैती हुई थी, उसमें इनके गॉव के ही डकैत थे, जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी, जिनके परिवार वालों से आवेदक को हमेशा जानमाल का खतरा बना रहता है। आवेदक के पिता के नाम से एक डी. बी.बी.एल. बंदूक है, जिसकी अनुज्ञप्ति आवेदक के नाम से हस्तानान्तरित करने की अनुशंसा थानाध्यक्ष, मांझी के द्वारा की गई है।

आवेदक के पिता श्री साधु शरण सिंह के द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र दिया गया है कि उनके नाम से एक दो नाली बंदूक है, जिसकी अनुज्ञप्ति सं0 84/78 है। इन्हें दो पुत्र हैं– श्री अरविन्द सिंह एवं श्री मृत्युजंय सिंह। काफी बूढ़ा हो जाने के कारण पूरे परिवार की सहमति से वे चाहते हैं कि उनके ज्येष्ठ पुत्र अरविन्द सिंह को उक्त अनुज्ञप्ति प्राप्त हो जाए।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा अपने प्रतिवेदन में आवेदक के उपर व्याप्त खतरे के मद्देनजर उन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार थानाध्यक्ष, मांझी एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन

से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में श्री साधु शरण सिंह, सा0–इमातपुर टोले, उड़ियानपुर, थाना–मांझी, जिला–सारण के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति सं0 84 / 1978 (एक डी.बी.बी. एल. बन्दूक) को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए निर्देश दिया जाता है कि वे अविलम्ब अपने शस्त्र को नजदीकी शस्त्र प्रतिष्ठान में जमा करवाकर उसकी रसीद जिला शस्त्र शाखा, सारण में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवेदक अरविन्द सिंह, पिता– साधु शरण सिंह, सा0–इमादपुर टोले, उड़ियानपुर, थाना–मांझी, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक डी.बी.बी.एल. गन की अनुज्ञप्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 08/न्या० दिनांक 05/01/2015

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सारण / जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण / DIO, NIC, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आ०१२४५ कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
05/1/15